वित्त निर्देश 54/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्र. 469/एल 2014-71-00297/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषयः- पेंशन भोगियों के लिये जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में संशोधन ।

''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा पेंशन भुगतान योजना'' के बिन्दु क्रमांक 18 में यह व्यवस्था है कि पेंशन भोगियों के लिये वर्ष में एक बार नवम्बर महीने में परिशिष्ट चार (एक) में विहित फार्म में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इस प्रयोजन के लिये सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अधिकारी जीवन प्रमाण पत्र देने के लिये प्राधिकृत है ।

2/ राज्य शासन द्वारा पेंशन/परिवार पेंशनर के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की दृष्टि से ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना'' का बिन्दु क्रमांक 18 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

18. जीवन प्रमाण पत्र- पेंशन भोगियों के लिये वर्ष में एक बार नवम्बर महीन में परिशिष्ट चार (एक) में विहित फार्म में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इस प्रयोजन के लिये सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अधिकारी जीवन प्रमाण पत्र देने के लिये प्राधिकृत है । इस प्रयोजन हेतु जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर/परिवार पेंशनर का जिस बैंक में खाता है उस बैंक शाखा के अतिरिक्त उसी बैंक की अन्य किसी भी शाखाओं में जमा किये जा सकेंगे ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 470/एल 2014-71-00297/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग